वित्तीय स्वीकृति

संख्या-48/2016/863/52-3-16-सा(53)/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□ □

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक 27□□, 2016

विषयः-मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद मिर्जापुर की कालातीत धनराशि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक से स्वीकृत किये जाने वे□ संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र स□0-4805/□0□0□0□□0/□□0□□0□□□0□□/2014 दिनांक 11.3.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत 675 व 2108 मदरसों हेतु वर्ष 2010-11 □ 2011-12 □□ □□ □ल रू0 37,42,92,000/- की धनरा□श अवमुक्त की गयी थी जिसे शासनादेश स□0-□□0□0 94/52-3-12-□□□(16)/12 दिनांक 2.1.2013 द्वारा स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रख दिया गया था। उक्त स्वीकृत धनराशि में से आपके द्वारा जनपद मिर्जापुर हेतु अवमुक्त धनराशि 04.50,000/- □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ परिणाम स्वरूप संबंधित शिक्षकों के खाते में धनराशि हस्तान्तरित नही हो पायी थी। उक्त जनपदों की कुल कालातीत धनराशि रू0 04,50,000/-(रू□ चार लाख पचास हजार मा) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3,36,36,90,000/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि 0 2,61,33,94,799/- से निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते है:-

(1) राज्य सरकार द्वारा अनुदानित या वेतन/मानदेय दिये जाने वाले मदरसा शिक्षकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 30-12-2016 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से मानदेय/वेतन मद में दोहरा भुगतान न होने पाये एवं पारदर्शिता बनी रहे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय /□□□□ इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये किया जायेगा।

(□□□) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि भुगतान की जायेगी। यह भी पुनः देख लिया जायेगा कि लाभान्वित मदरसा भारत सरकार □□□□ आधुनिकीकरण योजनान्त्तगत निर्गत गाइड लाइन की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण करता है। यदि किसी मदरसें में अनियमित भुगतान किया जाता है, तो इसके लिये संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पूर्णतया उत्तरदायी होंगे तथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार उनसे सुनिश्चित की जायेगी।

(3) निदेशक एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे स्वीकृत धनराशि का दिशा-निर्देशो के अनुसार सदुपयोग सुनिश्चित करेगें। किसी भी दशा में अस्तित्वहीन मदरसे तथा अस्तित्वहीन शिक्षक को धनराशि वितरित न हो, वितरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जो वास्तव में उपस्थित रह कर मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया गया हों। वितरण पारदर्शी तरीके से होगा तथा व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा व □□□□ सुरक्षित रखने का दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत योजना की धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा, जो धनरा□□ व्यय नही हो सकती उसकी जानकारी विवरण सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) योजनान्तर्गत कार्यरत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को प्रश्नगत अवधि के मानदेय के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व में इस अवधि के मानदेय का भुगतान संबंधित शिक्षक को नही किया गया है

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के मानदेय का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में यह धनराशि किसी अन्य प्रयोजनार्थ व्यय नहीं की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध □□□□ □□□□□

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (के0100/□0-□0)- 20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□□ □□□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/□□-1-746/□□- 2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-863/52-3-16 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त निदेशक(□□0□□0) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) □□□□ □□□□□, शास्त्री भवन नयी दिल्ली।
2- □□□□□□□□□ (□□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□□
3- □□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□□
4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, □□□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन थार्न हिल रोड, इ□□□□□□□
5- कोषाधिकारी, □□□□□ □□□, □□□□/वित्त ए लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □0प्र0 □□□□□
6- □□□□, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन□□
7- निदेशक उर्दू/प्राच्य भाषायें/बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 □□□□
8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, □0प्र0 □□□□ □
9- रजिस्ट्रार, □0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□ □
10- वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (उ□□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/□□□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□
11- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।
12- गार्ड फ□□□

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यक□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।